# न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

**अपील संख्याः– 149/2018 (75 राजस्थान भू राजस्व अधि0 )(R.C.M.S . no 2018/00165)**

1. रामवती पत्नी केशवसिंह
2. अजमेरसिंह पुत्र मनसूखा
3. केशवसिंह पुत्र मनसूखा
4. सीमावती वेवा कमलसिंह
5. वृजमोहन पुत्र कमलसिंह
6. श्री कृष्ण पुत्र कमलसिंह

जाति राजपूत निवासीगण ग्राम गढ करीलपुर तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

1. तहसीलदार साहब तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।

.....असल रैस्पोडेन्ट

2. मंजू पुत्री स्व0 कमलसिंह पत्नी रामवीर निवासी राजाखेडा जिला धौलपुर।
3. राजकुमारी पुत्री स्व0 कमलसिह पत्नी रेतसिंह निवासी नाये का पुरा तहसील फतेहाबाद।

.....तरतीबी रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा दिनांक 1.5.2018 उनवानी रामवती बनाम सरकार मु0सं0 2/18 प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0

उपस्थितिः–

1. श्री दिनेश शर्मा वकील अपीलान्टस
2. राजकीय अधिवक्ता।
3. श्री पुष्पेन्द्र शर्मा वकील रैस्पो0।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

## नि र्ण य

दिनांकः 5.7.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा के निर्णय दिनांक 1.5.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्टस ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम इस आशय का तहत अदालत के समक्ष पेश किया था कि बन्दोबस्त विभाग ने नक्शा में गलत आकृति दर्शायी गईहै जो हाल खसरा नम्बर के रकबा के अनुसार न होकर गलत रूप से कम व ज्यादा बनाई गई है हाल नक्शा में नक्शा अक्स की आकृति को दुरूस्त किया जावे । जिस पर तहत अदालत उपखण्डाधिकारी राजाखेडा द्वारा लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प में अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.5.2018 पारित करते हुये प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136

एल आर एक्ट की कार्यवाही को ड्रॉप कर दिया गया है । इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश दिनांक 1.5.2018 खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि अपीलान्टस ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम इस आशय का तहत अदालत के समक्ष पेश किया था कि बन्दोबस्त विभाग ने नक्शा में गलत आकृति दर्शायी गईहै जो हाल खसरा नम्बर के रकबा के अनुसार न होकर गलत रूप से कम व ज्यादा बनाई गई है हाल नक्शा में नक्शा अक्स की आकृति को दुरूस्त किया जावे । जिस पर तहत अदालत उपखण्डाधिकारी राजाखेडा द्वारा लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प में अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.5.2018 पारित करते हुये प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट की कार्यवाही को ड्रॉप कर दिया गया है । यह कि अपीलान्ट संख्या–4 कमलसिंह की मृत्यु दिनांक 29.4.2018 को हो चुकी है इसलिऐ उसके वारिसानों को इस अपील में पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट व तरतीवी रैस्पो0 की बैक पर लोक अदालत कैम्प कोर्ट में बिना जानकारी के पारित किया गया है जबकि कमलसिंह की मृत्यु हो चुकी थी इस प्रकार अपीलाधीन आदेश मृत व्यक्ति के खिलाफ पारित किया गया है जो काबिले मंसूखी है। इसके अलावा खसरा नम्बर 2733 तथा 2727 को मौके व रकबे के अनुसार नक्शा ट्रेस में अंकित नहीं किया गया है । तहत अदालत ने मौके की रिपोर्ट भी तहसीलदार/पटवारी से तलब नहीं की है। अपीलाधीन आदेश में न तो उनवान अंकित किया है न वह आदेश की तारीफ में आता है। महज पटवारी को नाप का आदेश देने से प्रार्थीगण के रकबे की शुद्धि नहीं हो सकती है क्यों कि जब तक नक्शा ट्रेस में शुद्धि नहीं होगी तब तक सही कार्यवाही नहीं होगी इस तथ्य पर भी अदालत तहत ने कतई विचार नहीं करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो काबिले मंसूखी है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.5.2018 एक नोन स्पीकिंग आदेश है जो अपीलान्ट की बैक पर पारित किया गया है दिनांक 1.5.2018 को अपीलान्ट कोर्ट कैम्प में ही उपस्थित नहीं थे क्यों कि प्रकरण को कोर्ट कैम्प में लगाये जाने की जानकारी ही अपीलान्ट को नहीं थी ऐसी स्थिति में मृत व्यक्ति के खिलाफ बिना जानकारी के अपीलान्ट की बैक पर पारित अपीलाधीन आदेश काबिले मंसूखी है। इस आदेश की अपीलान्ट को कतई जानकारी नहीं थी क्यों कि यह आदेश अपीलान्ट की बैक पर पारित किया गया था जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के कतई खिलाफ है। अपीलाधीन आदेश कानून की परिधि से बाहर नोन स्पीकिंग आदेश है जिसकी अपील कभी भी की जा सकती है तथा आदेश जेर अपील में कानूनी बिन्दु निहित है इसलिऐ अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की जा रही है अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे जिसके लिये पृथक से दफा–5 मियाद अधिनियम प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र संलग्न है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 1.5.2018 निरस्त किया जावे एवं नक्शा में मुताबिक रकबा तरमीम किया जाकर नक्शा दुरूस्त किया जावे।

रैस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता द्वारा तहत अदालत उपखण्डाधिकारी राजाखेडा जिला धौलपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.5.2018 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह कि प्रकरण नियमानुसर लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प नाहिला में निर्णित हुआ है। अपीलान्ट ने ख0नं0 2733 रकबा 1 बीघा 11 विस्बा मौके पर व सीट में पूरी नहीं है । पास में उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 2727 रकबा 0.02 विस्बा है उसमें जमीन हो सकती है। जिस पर तहत अदालत ने पटवारी की रिपोर्ट तलब की गई। पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया 0.02 शमशान की जमीन है उसकी नाप 0.02 ही है। इसलिऐ उसमें रकबा निकलना मुश्किल है। मौके पर पास में ही गै0मु0 रास्ता है जिस पर ग्रेवल डली हुई है। प्रार्थी द्वारा बताया रकबा उक्त नम्बरान में हो सकता है इसके लिये सम्पूर्ण गांव की नाप व आस पास के खसरा नम्बरान की विशेषकर नाप आवश्यक है इसके लिये लोक अदालत की भावना के मध्यनजर वादीगण को समझाया गया कि वादी के रकबे की जांच करा दी जावेगी । इस पर वादीगण सहमत हुआ। इस प्रकार पुनः जांच के आदेश पटवारी को देते हुये यह प्रकरण लोक अदालत की भावना के तहत अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.5.2018 ड्रॉप किये जाने के आदेश पारित किये गये है जो न्यायोचित है। तहत अदालत के आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाते हुये तहत अदालत का आदेश दिनांक 1.5.2018 यथावत रखा जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है किः–

> "Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large
> would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–
"Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal"

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। यह प्रकरण धारा 136 एल आर एक्ट के अंतर्गत मात्र नक्शा ट्रेस में शुद्धि का है। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण को तहत अदालत द्वारा गुणावगुण के आधार पर निर्णित न किया जाकर केवल पटवारी को पुनः जांच के आदेश देते हुये अन्तिम निर्णय भविष्य के लिये छोडा गया है जो न्यायिक दृष्टि से उचित नही माना जा सकता। यह प्रकरण 136 एल आर एक्ट के अंतर्गत नक्शा ट्रेस दुरूस्ती का था न कि पैमायश का। प्रकरण में वादी/अपीलान्ट द्वारा चाहा गया अनुतोष क्या वास्तव में उचित है ? न्याय संगत है ? अथवा आधारहीन ? यह स्पष्ट तब ही हो सकता था जबकि सभी हितधारी पक्षकारान की विधिवत सुनवाई उपरान्त प्रकरण के वास्तविक तथ्यों से रूबरू होते हुये नियमानुसार बाद पैमायश/जांच गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाता। इस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संदर्भ में राजस्थान लैण्ड रैवेन्यु (लैण्ड रिकार्ड्स) रूल्स की धारा 369 उपखण्डाधिकारी के कर्तव्यों को विस्तृत रूप से स्पष्ट करती है । राजस्थान लैण्ड रैवेन्यु (लैण्ड रिकार्ड्स) रूल्स की धारा 369 में उपखण्डाधिकारी कलक्टर के नियन्त्रण के अधीन रहते हुये उपखण्ड के नक्शों तथा अभिलेखों को सही रूप में रखने की उसकी जिम्मेदारी में हाथ बंटाता है। उपखण्डाधिकारी भू अभिलेख अधिकारी भी है जिसके क्षेत्राधिकार में काश्तकारों के वास्तविक कब्जा एवं नक्शो राजस्व रिकार्ड इत्यादि का सही रख रखाब का भी दायित्व है। यह बखूबी जाहिर है कि यह प्रकरण लोक अदालत में निर्णित किया गया है तथा जिस पटवारी रिपोर्ट का अपीलाधीन आदेश में जिक्र किया गया है वह तहत पत्रावली में उपलब्ध नहीं पायी गई है और न ही सभी पक्षकारान के कोर्ट कैम्प में उपस्थित होने हेतु तामीली सम्मन तहत पत्रावली में संलग्न पाये गये है। इसके अलावा लोक अदालत की भावना के मध्यनजर आदेशिका पर पक्षकारान के सहमति के हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है और न ही मृतक पक्षकार के कायम मुकामानों को रिकार्ड पर लिया गया है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों की अनदेखी है ऐसी स्थिति में वकील अपीलान्ट के उपर्युक्त कथनों से हम सहमत रहते है कि अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में पारित किया गया है साथ ही गुणावगुण के आधार पर विवेचना न किया जाकर केवल पटवारी को जांच के आदेश दिये जाकर प्रकरण ड्रॉप किया गया है जो वास्तव में स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है लिहाजा अपील अपीलान्ट अपीलाधीन आदेश के गुणावगुण के आधार पर पारित न किये जाने की स्थिति में खारिज योग्य ही रहता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन 1.5.2018 निरस्त किया जाता है । उपखण्डाधिकारी राजाखेडा को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण के वास्तविक तथ्यों से रूबरू होते हुये सभी हितधारी पक्षकारान को पुनः सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये नये सिरे से जांच कराया जाकर पुनः गुणावगुण के आधार पर तार्किक एवं न्यायसंगत आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 15.7.2019 को सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर